

अधीन कार्यपालिका (FEDERAL EXECUTIVE) राष्ट्रपति (PRESIDENT)

66

..... Russian Constitution given the President sweeping Powers which trump all other political Institution."

- L. Rodnikhosky.

1993 ई० में अखिर में आये इस के अविधान द्वारा देश में अघात्मक शासन की स्थापना की गई है। अघ अघ राज्यों में दोहरी कार्यपालिका शक्ति है। 1- राष्ट्रपति 2- प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री अघ अधीन मंत्री। राष्ट्रपति राष्ट्र का सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता होता है।

अधीन अघ का राष्ट्रपति (President of the Russian Federation)

अधीन अघ के अविधान के अध्याय - 4 अधीन गणराज्य के राष्ट्रपति शीर्षक से युक्त है। इस अध्याय के अनुच्छेद 80 से लेकर 93 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। राष्ट्रपति राज्य का प्रधान, अविधान का रक्षक तथा नागरिक अधिकारी का संरक्षक है।

- योग्यताएँ (Qualifications): 1- वह अधीन अघ का नागरिक है।
2- उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
उसे अधीन अघ में निवास करते हुए 10 वर्ष से कम न हो।

- कार्यकाल (Tenure): प्रारम्भ में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया था किन्तु 2008 में परिवर्तन करके इसे 6 वर्ष कर दिया गया है। इससे पूर्व वह त्यागपत्र देकर या महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।

- चुनाव पद्धति (Method of election) किसी राष्ट्रपति प्रक्रिया का अक्टोबर 1995 में स्वीकृत 'किसी संघ के राष्ट्रपति के निर्वाचन का संघीय कानून' में किया गया है -
किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन की विशेषता निम्नलिखित हैं -

- सार्वभौमिक, समान, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किसी संघ के नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
- मतदाता प्रत्यक्ष रूप से किसी उम्मीदवार को वोट कर सकता है।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार (व्यक्त मताधिकार) प्राप्त है।
- इस की संघीय सभा के उच्च सदन (संघीय परिषद) द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पादित की जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन का दिन वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की निर्धारित अवधि समाप्त के बाद पड़ने वाला प्रथम शनिवार है।
- राष्ट्रपति पद के लिए 50% वोट प्राप्त होना आवश्यक है। यदि किसी उम्मीदवार को 50 प्रतिशत से कम मत प्राप्त हो तो 15 दिनों के भीतर पुनः मतदान कराया जाता है।

• शपथ (Oath): राष्ट्रपति किसी संघ के संघीय परिषद के अध्यक्ष, स्टेट ड्यूमा के सदस्य तथा सर्व-धातुक न्यायालयों के न्यायाधीशों के समक्ष आयोजित समारोह में शपथ लेता है।

• राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य = किसी राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित हैं।

1. कार्यपालिका शक्ति (Executive Power) स्टेट ड्यूमा की सहमती से

कभी संघा का राष्ट्रपति कभी सरकार के चैयरमैन (प्रधानमंत्री) की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर वह डिप्टी चैयरमैन तथा अन्य मंत्रीयों की नियुक्ति करता है। वह सरकार के त्यागपत्र का निर्णय करता है। राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद के गठन की स्वीकृति देता है तथा उसके बैठक की अध्यक्षता करता है। वह उपाधियाँ प्रदान करता है। वह बाह्य देशों के नागरिकों की दोहरी नागरिकता दिये जाने का निर्णय कर सकता है।

62 विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers) कभी संविधान में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसी संविधान में उल्लिखित अधिक प्रावधानों के अनुसार सेंट आण्ड ड्यूमा के विघटन का अधिकार है। कभी संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप लेता है। राष्ट्रपति को देश की आन्तरिक एवं विदेश नीति के क्षेत्र में सर्वोच्च निति निर्देशक का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष सघीय संसद की संयुक्त बैठक में राज्य तथा अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों आदि के सम्बन्ध में अपना निर्देश दे सकता है।

3. वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers) राष्ट्रपति बजट प्रस्तावित करता है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर अपना विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है।

4. न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers) कभी संविधान में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिश, महा न्यायाधी आदि की नियुक्ति के लिए सघीय परिषद के समक्ष नाम प्रस्तावित करता है। राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान का अधिकार है।

5. सैन्य शक्ति (Military powers) राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति (कमांडर इन चीफ) है। उसे सशस्त्र बलों के कमांडरों की नियुक्ति एवं बर्खास्त करने की शक्ति प्राप्त है।

⇒ आपातकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers) अनुच्छेद 89 के

अन्तर्गत राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का वर्णन है। राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा की सूचना अधीन परिषद् एवं स्टेट ड्यूमा को तुरन्त देना संवैधानिक बाध्यता है।

अक्षय में इसी राष्ट्रपति के पास कार्यपालक शक्तियाँ हैं जिसका प्रयोग वह प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है। वह कोस की विदेश नीति का व्याख्याता होता है। वह नीति को व्यवहारिक रूप में प्रदान करने के लिए संधियाँ, कूटनीति बातचीत तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करता है।

इस प्रकार संविधान एवं कानून उसे व्यापक शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करता है।

● निष्कर्ष (Conclusion) इसी राष्ट्रपति का पद भारतीय राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति औपचारिक बड़ी है बल्कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति की भाँति शक्तिशाली राष्ट्रध्यक्ष है। उसकी कार्यपालिका, सैन्य एवं कूटनीतिक शक्तियाँ जो उसे सत्तावादी स्वरूप प्रदान करती हैं। वह स्टेट ड्यूमा द्वारा पारित विधेयकों पर ~~निषेध~~ विवेधाधिकार (Veto) का प्रयोग कर सकता है। इसी संध के संविधान के अनुच्छेद 91 के अनुसार उसे उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं जिसके चलते उसके अधिनायकवादी शासन बन जाने की सम्भावना बलवती दिरवाई पडती है।

* * *